न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कम–1, जयपुर महानगर, द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार गुप्ता–II (आर.जे.एस.)

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या : 295/26

1– रामदयाल सिंह पुत्र प्रभु सिंह, उम्र–36 वर्ष, निवासी गांव गिलाड़ी, तहसील सिकराय कराल, जिला दौसा, राजस्थान।

2– अखलेश योगी पुत्र गोविन्द सहाय योगी, उम्र–34 वर्ष, निवासी गांव कालवान, तहसील सिकराय, जिला दौसा। ––प्रार्थी/आरोपीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक। ––अभियोगी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (438 द.प्र.सं.), प्र.सू.रि.सं. 103/26 पुलिस थाना झोटवाड़ा, जयपुर धारा 318(4), 316(2),61(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित :–

1– श्री रवि जांगिड़ व श्री कपिल शर्मा, विद्वान अधिवक्तागण, प्रार्थी/आरोपी।

2– श्रीमती साजिया खान, योग्य अपर लोक अभियोजक, राज्य।

–:: **आदेश** ::– **दिनांक : 05–06–26**

1 इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/आरोपीगण की ओर से उनके अधिवक्ता के जरिये प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निस्तारण किया जा रहा है। केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी नन्दनी फाइनेन्स कम्पनी ने परिवाद रामदयाल व अखलेश योगी के विरूद्ध इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि दिसम्बर 2023 में अभियुक्तगण द्वारा वाहन संख्या आर.जे.29 आरबी 4824 पर लोन एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत फाइनेन्स प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और रामदयाल सिंह ने फाइनेन्स की राशि की अदायगी की सुरक्षार्थ अखलेश योगी को बतौर गारण्टर प्रस्तुत किया और परिवादी ने अभियुक्तगण को 3,50,000 रुपये का फाइनेन्स लोन एग्रीमेन्ट दिनांक 27–12–23 के माध्यम से उक्त वाहन पर उपलब्ध कराया। अभियुक्तगण को शर्तानुसार 50,000 रुपये की 10 मासिक किश्तों में राशि अदा करनी थी, परन्तु अभियुक्तगण ने कभी भी समय पर किश्तों की अदायगी नहीं की और वाहन को अन्यत्र व्यक्ति को विक्रय करके खुर्द–बुर्द कर दिया। इत्यादि..

3 उक्त परिवाद को विचारण न्यायालय द्वारा अनुसंधान हेतु थाना झोटवाड़ा को भिजवाया गया, जहां पर प्र.सू.रि.सं. 103/26 धारा 318(4), 316(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रकरण में

गिरफ्तारी की आशंका होने पर प्रार्थी/आरोपीगण के द्वारा अग्रिम जमानत का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया।

4 विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/आरोपीगण ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए मुख्यतः तर्क दिये हैं कि प्रार्थी संख्या–1 मूल ऋणी व प्रार्थी संख्या–2 गारन्टर है और उनके द्वारा वाहन बेचा नहीं गया है और वाहन उनके कब्जे में है। परिवादी ने गलत तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है तथा वे गाड़ी पेश करने को तैयार हैं और 4 किश्तें चुका दी हैं और वन टाइम सेटलमेन्ट कर लिया है तथा एनओसी नहीं ली है, राशि जमा कराने के लिये तैयार है। परिवादी ने आरबीट्रेशन का भी नोटिस दिया है और उन्होंने वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं किया है। प्रार्थीगण अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने हेतु तत्पर है। अगर प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया तो प्रार्थी व उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

5 जबकि योग्य अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।

6 सुना गया। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7 तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।

8 केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी/आरोपीगण के विरूद्ध, परिवादी कम्पनी द्वारा वाहन पर 3,50,000/– रुपये ऋण प्राप्त कर, ऋण न चुकाने व वाहन खुर्द–बुर्द करने का धारा 61(2), 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अपराध का प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

9 प्रार्थी/आरोपीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रार्थी संख्या–2 मात्र गारंटर है तथा प्रार्थीगण ने वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं किया है और वन टाइम सेटलमेंट हो चुका है, इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि पुलिस द्वारा आरोपीगण को बार–बार अनुसंधान हेतु उपस्थित होने के लिये जरिये टेलीफोन सूचित किया गया, लेकिन आरोपीगण अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं हुए और अब तक के अनुसंधान से आरोपीगण के विरूद्ध परिवादी कम्पनी का लोन नहीं चुकाने व वाहन पेश नहीं करने के सम्बन्ध में आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

10 पत्रावली पर लोन एग्रीमेन्ट उपलब्ध है तथा लोन नहीं चुकाना भी स्वीकृत है तथा फाइनेंस पर लिया वाहन भी दौराने अनुसंधान जब्त नहीं करना सामने आया

है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Arnesh Kumar Vs State of Bihar & Anr.** में निर्देशित किया गया है कि धारा 41(1) दंड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 35(3) के अन्तर्गत ऐसे प्रकरणों में पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, जिसमें सात वर्ष से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान न हो, गिरफ्तारी से पूर्व अभियुक्त को नोटिस देने का आज्ञापक प्रावधान है, उक्त नोटिस की अवहेलना पर ही विस्तृत कारणों का उल्लेख करने के पश्चात् ही अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जा सकता है। तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रार्थी/आरोपीगण के विरूद्ध धारा 61(2), 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अपराधों को अब तक के अनुसंधान से प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। आरोपीगण को पुलिस द्वारा धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस जरिये मोबाइल दिया जाना जाहिर किया गया है। चूंकि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अनुसंधान में सहयोग करना जाहिर किया है, ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Arnesh Kumar Vs State of Bihar & Anr. 2014 (8) SCC 273** के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार विहित प्रक्रिया का कठोरता से पालन करे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी/आरोपीगण द्वारा धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों की पालना नहीं करने पर अनुसंधान अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। इस प्रक्रम पर यह नहीं माना जा सकता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है। अतः प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निम्नानुसार अस्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

11 परिणामस्वरूप प्रार्थी/आरोपीगण 1–रामदयाल सिंह पुत्र प्रभु सिंह 2–अखलेश योगी पुत्र गोविन्द सहाय योगी, की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 438 द.प्र.सं.) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

किन्तु अनुसंधान अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रार्थी/आरोपीगण की गिरफ्तारी से पूर्व मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Arnesh Kumar Vs State of Bihar & Anr. 2014 (8) SCC 273** के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में विहित प्रक्रिया का कठोरता से पालन करे।

(**विनोद कुमार गुप्ता–II**)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर, द्वितीय

12 आदेश आज दिनांक 05–06–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(**विनोद कुमार गुप्ता–II**)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–1
जयपुर महानगर द्वितीय